

संशोधन-आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01.09.2023 के अधिकमण में डॉ. छोटे लाल मीणा, (जन्मतिथी 04.11.1963) प्रमुख विशेषज्ञ (अस्थि) हाल संयुक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग निदेशालय, जयपुर को स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम- 50(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2023 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

डॉ. मीणा के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई जॉच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निमिषा गुप्ता)  
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग निदेशालय, जयपुर
- 2- निदेशक (जन स्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर।
- 3- निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
- 4- डॉ. छोटे लाल मीणा, प्रमुख विशेषज्ञ (अस्थि) हाल संयुक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं ड्रग निदेशालय, जयपुर
- 5- रक्षित पत्रावली/कम्प्यूटर सैल।

Signature

Digitally signed by Nimsha Gupta  
Designation: Joint Secretary To  
Government  
Date: 2023.09.01 17:06:58 IST  
Reason: Approved

